



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 28, 2005/माघ 8, 1926

No. 36]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 28, 2005/MAGHA 8, 1926

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(बेतार आयोजना तथा समन्वय स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2005

सा.का.नि. 45(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 और धारा 7 और भारतीय बेतार तार यांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) की धारा 4 और धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 2.4 गीगा हर्ट्ज से 2.4835 गीगा हर्ट्ज तक के आवृत्ति बैंड में अल्पशक्ति उपस्कर का अंतरंग उपयोग (अनुज्ञापन अपेक्षा से छूट) नियम, 2004 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम 2.4 गीगा हर्ट्ज से 2.4835 गीगा हर्ट्ज तक के आवृत्ति बैंड में अल्पशक्ति उपस्कर का अंतरंग उपयोग (अनुज्ञापन अपेक्षा से छूट) नियम, 2005 हैं ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं** - इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) “अधिनियम” से भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) अभिप्रेत है ;

(ख) “प्रभावी विकिरित क्षमता” में एंटीना की प्राप्यता, यदि कोई हों, सम्मिलित है ;

(ग) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम और भारतीय बेतार तार यांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे, जो उन अधिनियमों में है।

3. 2.4 गीगा हर्ट्ज से 2.4835 गीगा हर्ट्ज तक के बैंड में बेतार उपस्कर का उपयोग - तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी भी व्यक्ति से नीचे दी गई सारणी में यथाविनिर्दिष्ट संचारी शक्ति, प्रभावी विकिरित क्षमता, एंटीना की ऊंचाई, अव्यतिकरण, असंरक्षित हिस्सेदारी के (अनन्य रहित) आधार पर 2.4 गीगा हर्ट्ज से 2.4835 गीगा हर्ट्ज तक के आवृत्ति बैंड में किसी बेतार उपस्कर की स्थापना करने, अनुरक्षण करने, कार्य करने, कब्जे में रखने या व्यवहार करने के लिए कोई अनुज्ञप्ति अपेक्षित नहीं होगी, अर्थात् :-

सारणी

संचारी की अधिकतम देय शक्ति	अधिकतम प्रभावी विकिरित क्षमता	एंटीना की ऊंचाई
(1)	(2)	(3)
10 मेगाहर्ट्ज या इससे अधिक के प्रसार में 1 वाट (30 डीबीएम)	4 वाट (36 डी.बी.एम.)	विद्यमान प्राधिकृत भवन के रूफटोप से ऊपर 5 मीटर के भीतर

4. आवृत्ति आबंटन निकासी संबंधी स्थायी सलाहकार समिति - यदि एंटीना का टोप विद्यमान रूफटोप से परे पांच मीटर से अधिक हो तो एंटीना को यथा लागू आवृत्ति आबंटन निकासी संबंधी स्थायी सलाहकार समिति को बाह्य उपयोजनों के लिए एंटीना के लिए अभिप्राप्त करने की आवश्यकता है।

5. अंतर्क्षेप व्यतिकरण - किसी रेडियो संचार प्रणाली में अभिग्रहण पर उत्सर्जनों, विकिरणों या आगमन में से किसी एक या उनके किसी मिश्रण के कारण अवांछित ऊर्जा का प्रभाव, जो किसी निष्पादन निम्नीकरण, अपनिर्वचन या जानकारी की कमी से प्रकट हुआ हो, जो ऐसी अवांछित ऊर्जा के अभाव में निष्कर्षित किया जा सके, उस दशा में जहां कोई व्यक्ति, जिसको अधिनियम, की धारा 4 के अधीन कोई अनुज्ञप्ति जारी की गई, सूचित करता है कि उसकी अनुज्ञप्ति प्रणाली इन नियमों के अधीन छूट प्राप्त किसी अन्य रेडियो संचार प्रणाली से हानिप्रद हस्तक्षेप हो रहा है तो ऐसे अनुज्ञप्तिविहीन बेतार उपस्कर का अंतः प्रयोग बंद कर दिया जाएगा।

6. उपस्कर - (1) बेतार उपस्कर अनुमोदित और अभिकल्पित टाइप का होगा और ऐसी रीति में संनिर्मित होगा जिससे कि उत्सर्जन की बैंड चौड़ाई तथा अन्य पैरामीटर नियम 3 में निर्दिष्ट सारणी में विनिर्दिष्ट सीमाओं के अनुरूप हो ।

(2) उपस्कर टाइप अनुमोदन अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन केन्द्रीय सरकार के ऐसे प्रारूप में किया जाएगा जो उस सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए ।

[सं. आर-11014/17/2004-एल आर (Pt.)]

अशोक कुमार, संयुक्त बेतार सलाहकार

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY
(Wireless Planning and Coordination Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2005

G.S.R. 45(E).— In exercise of the powers conferred by sections 4 and 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) and sections 4 and 10 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933) and in supersession of the Indoor Use of low power Equipment in the frequency band 2.4 GHz to 2.4835 GHz (Exemption from Licensing Requirement) Rules, 2004, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Use of low power Equipment in the frequency band 2.4 GHz to 2.4835 GHz (Exemption from Licensing Requirement) Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definition.- In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885);

(b) "Effective Radiated Power" includes the gain of the antenna, if any;

(c) words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act and the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), shall have the same meanings respectively as assigned to them in those Acts.

3. Use of wireless equipment in the band 2.4 GHz to 2.4835 GHz.- Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, no licence shall be required by any person to establish, maintain, work, possess or deal in any wireless equipment, on non-interference, non-protection and shared (non-exclusive) basis, in the frequency band 2.4 GHz to 2.4835 GHz with the transmitter power, Effective Radiated Power and height of antenna as specified in the Table below, namely :-

TABLE

Maximum out power of transmitter	Maximum Effective Radiated Power	Height of Antenna
(1)	(2)	(3)
1 W (30 dBm) in Spread of 10 MHz or higher	4 W (36 dBm)	Within 5 metres above the roof top of existing authorized building

4. Standing Advisory Committee on Frequency Allocations clearance.- In case the top of Antenna is more than 5 metres beyond the existing roof top, then Standing Advisory Committee on Frequency Allocations clearance as applicable to antenna needs to be obtained for the antenna for outdoor applications.

5. Interference.- The effect of unwanted energy due to one or a combination of emissions, radiations or induction upon reception in a radio communication system, manifested by any performance degradation, misinterpretation, or loss of information which could be extracted in the absence of such unwanted energy. In case where any person to whom a licence has been issued under section 4 of the Act, informs that his licensed system is getting harmful interference from any other radio communication system exempted under these rules, the use of such unlicensed Wireless equipment shall be discontinued forthwith.

6. Equipment.- (1) The wireless equipment shall be type approved and designed and constructed in such a manner that the bandwidth of emission and other parameters shall conform to the limits specified in the Table referred to in rule 3.

(2) The application for obtaining equipment type approval shall be made to the Central Government in such form as may be specified by that Government in this behalf.

[No. R-11014/17/2004-LR (Pt.)]
ASHOK KUMAR, Jt. Wireless Advisor

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2005

सा.का.नि. 46(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 और धारा 7 और भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) की धारा 4 और धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम 5 गीगा हर्ट्ज के आवृत्ति बैंड में अल्पशक्ति बेतार उपस्कर का अंतरंग उपयोग (अनुज्ञापन अपेक्षा से छूट) नियम, 2005 हैं।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं** - इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (क) “अधिनियम” से भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) अभिप्रेत है ;
- (ख) “प्रभावी समदैशिक विकिरित क्षमता” में एंटीना की प्राप्यता, यदि कोई हों, सम्मिलित है ;
- (ग) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है किंतु अधिनियम और भारतीय बेतार तार यांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे, जो उन अधिनियमों में है ।

3. 5.150 गीगा हर्ट्ज से 5.350 गीगा हर्ट्ज और 5.725 गीगा हर्ट्ज से 5.875 गीगा हर्ट्ज तक के बैंड में बेतार उपस्कर का उपयोग - तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, रेडियो, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क्स सहित अल्पशक्ति बेतार अभिगमन प्रणाली के प्रयोजन के लिए किसी भी व्यक्ति से नीचे दी गई सारणी में यथाविनिर्दिष्ट अधिकतम प्रभावी समदैशिक विकिरित क्षमता, एंटीना का प्रकार और व्याप्ति क्षेत्र वाले 5.150 गीगा हर्ट्ज से 5.350 गीगा हर्ट्ज और 5.725 गीगा हर्ट्ज से 5.875 गीगा हर्ट्ज तक के आवृत्ति बैंड में किसी बेतार उपस्कर की स्थापना करने, अनुरक्षण करने, कार्य करने, कब्जे में रखने या व्यवहार करने के लिए कोई अनुज्ञप्ति अपेक्षित नहीं होगी, अर्थात् :-

सारणी

आवृत्ति बैंड	अधिकतम प्रभावी समदैशिक विकिरित क्षमता	एंटीना का प्रकार	व्याप्ति क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)
5.150 गीगा हर्ट्ज से 5.350 गीगा हर्ट्ज और 5.725 गीगा हर्ट्ज से 5.875 गीगा हर्ट्ज तक	अधिकतम से तात्पर्य 200 मिली वाट के प्रभावी समदैशिक विकिरित क्षमता और किसी अधिकतम से तात्पर्य किसी 1 मेगा हर्ट्ज बैंड चौड़ाई में 10 मिली वाट / मेगा हर्ट्ज का प्रभावी समदैशिक विकिरित क्षमता घनत्व ।	अंतः निर्मित या अंतः एंटीना	अंतरंग उपयोग में किसी व्यक्ति, सम्यक् रूप से मान्यताप्राप्त संगठन या संस्था के एकल संसक्त कैपस के भीतर उपयोग सम्मिलित है ।

4. अंतर्क्षेप व्यतिकरण - किसी रेडियो संचार प्रणाली में अभिग्रहण पर उत्सर्जनों, विकिरणों या आगमन में से किसी एक या उनके किसी मिश्रण के कारण अवांछित ऊर्जा का प्रभाव, जो किसी निष्पादन निम्नीकरण, अपनिर्वचन या जानकारी की कमी से प्रकट हुआ हो, जो ऐसी अवांछित ऊर्जा के अभाव में निष्कर्षित किया जा सके, उस दशा में जहाँ कोई व्यक्ति, जिसको अधिनियम, की धारा 4 के अधीन कोई अनुज्ञप्ति जारी की गई, सूचित करता है कि उसकी अनुज्ञप्ति प्रणाली इन नियमों के अधीन छूट प्राप्त किसी अन्य रेडियो संचार प्रणाली से हानिप्रद हस्तक्षेप हो रहा है तो ऐसे अनुज्ञप्तिविहीन बेतार उपस्कर का अंतः प्रयोग बंद कर दिया जाएगा ।

5. **उपस्कर** - (1) बेतार उपस्कर का टाइप अनुमोदित होगा और ऐसी रीति में डिजाइन और निर्मित होगा जिससे कि उत्सर्जन की बैंड चौड़ाई तथा अन्य पैरामीटर नियम 3 में निर्दिष्ट सारणी में विनिर्दिष्ट सीमाओं के अनुरूप हो ।

(2) उपस्कर टाइप अनुमोदन अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन केन्द्रीय सरकार के ऐसे प्रारूप में किया जाएगा जो उस सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए ।

[सं. आर-11014/31/2004-एल आर]

अशोक कुमार, संयुक्त बेतार सलाहकार

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2005

G.S.R. 46(E).— In exercise of the powers conferred by sections 4 and 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) and sections 4 and 10 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), the Central Government hereby makes the following rules, namely:

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Indoor Use of low power wireless equipment in the frequency band 5 GHz (Exemption from Licensing Requirement) Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definition.- In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885);

(b) "Effective Isotropic Radiated Power" includes the gain of the antenna, if any;

(c) words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act and the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), shall have the same meanings respectively as assigned to them in those Acts.

3. Use of wireless equipment in the band 5.150 to 5.350 GHz and 5.725 to 5.875 GHz.- Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, no licence shall be required by any person to establish, maintain, work, possess or deal in any wireless equipment for the purpose of low power Wireless Access System, including Radio Local Area Networks, in the frequency band 5.150 to 5.350 GHz and 5.725 to 5.875 GHz with the Maximum Effective Isotropic Radiated Power, type of antenna and coverage area as specified in the Table below, namely:-

TABLE

Frequency band	Maximum Effective Isotropic Radiated Power	Type of antenna	Coverage area
(1)	(2)	(3)	(4)
5.150 to 5.350 GHz and 5.725 to 5.875 GHz	Maximum mean Effective Isotropic Radiated Power of 200 mW and a maximum mean Effective Isotropic Radiated Power density of 10 mW/ MHz in any 1 MHz bandwidth	Built in or indoor antenna	Indoor usage which includes usage within the single contiguous campus of an individual, duly recognised organisation or institution

4. Interference.- The effect of unwanted energy due to one or a combination of emissions, radiations or induction upon reception in a radio communication system, manifested by any performance degradation, misinterpretation, or loss of information which could be extracted in the absence of such unwanted energy. In case where any person whom a licence has been issued under section 4 of the Act, informs that his licensed system is getting harmful interference from any other radio communication system exempted under these rules, the indoor use of such unlicensed wireless equipment shall be discontinued forthwith.

5. Equipment.- (1) The wireless equipment shall be type approved and designed and constructed in such a manner that the bandwidth of emission and other parameters shall conform to the limits specified in the Table referred to in rule 3.

(2) The application for obtaining equipment type approval shall be made to the Central Government in such form as may be specified by that Government in this behalf.

[No. R-11014/31/2004-LR]

ASHOK KUMAR, Jt. Wireless Advisor